राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 1255/2015 जी.सी.एम.एस. 2017/00380

अमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जांगिड़ निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. राका
2. विपिन पुत्रान दयानन्द
3. धर्मा देवी पत्नी दयानन्द
4. बलबीर पुत्र सम्पतराम
5. रोशन पुत्र भरता
6. जैला
7. बदलु पुत्रान चन्दगीराम जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
8. विनोद पत्नी स्व. रामावतार
9. दीपक पुत्र स्व. रामावतार
10. कविता
11. नीरू
12. पूजा पुत्रियान रामावतार
13. कर्मवीर
14. प्यारे लाल पुत्रान महावीर
15. माड़ी पत्नी स्व. महावीर
16. इन्द्राज
17. रणजीत
18. राकेश कुमार
19. सजन कुमान पुत्रान मेहरचन्द जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
20. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
21. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
22. मिनी सहकारी बैंक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:10:56 IST
Reason: SelfAttested

<u>आवेदन पत्र बाबत रास्ता चा[illegible]</u>

<u>अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री विजयपाल यादव :– प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुरेश डांगी :– अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 व 7 की ओर से
3. श्री मुकेश चौधरी :– अप्रार्थी सं. 5 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक –04–2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम भैसावता खुर्द स्थित हाल ख.नं. 120, 121, 122, 123, 186 के खातेदार काश्तकार अन्नी देवी पत्नी दोदराम, शंकरलाल, होशियार, बाबुलाल पुत्रान दोदराम ब.हि.ब. हिस्सा 1/2, चिरंजी लाल पुत्र कालुराम, रूकमणी पत्नी स्व. किशोरी लाल, मनपुरा, महेन्द्र पुत्रान किशोरी लाल ब.हि.ब. हिस्सा 1/4, नानची देवी पत्नी स्व. प्रसादाराम, विधाधर पुत्र प्रसादाराम, ललीता, कृष्णा, मीरा, भतेरी पुत्रियान प्रसादाराम ब.हि.ब. हिस्सा 1/8 रामानन्द, ओमप्रकाश, रोहताश, दिनेश, सज्जन, सविता पुत्रान छोटुराम, मनी देवी पत्नी स्व. छोटुराम ब.हि.ब. हिस्सा 1/8 संवत् 2070 लगायत 2073 दर्ज रिकार्ड है। वाके ग्राम भैसावता खुर्द स्थित हाल ख.नं. 43 रकबा 2.40 है. के खातेदार काश्तकार राका, विपिन पुत्रान दयानन्द, धर्मा देवी पत्नी दयानन्द ब.हि.ब. हिस्सा 1/2 बलबीर पुत्र सम्पतराम हिस्सा 1/2 जाति जाट संवत् 2070 लगायत 2073 दर्ज रिकार्ड है। वाके ग्राम भैसातव खुर्द हाल ख.नं. 42 रकबा 5.59 है. ख.नं. 147 रकबा 1.12 है. ख.नं. 289 रकबा 0.59 है. के खातेदार काश्तकार रोशन पुत्र भरता हिस्सा 2/51, जैला, बदलु पुत्रान चन्दगी हिस्सा 3/5 जाति जाट संवत् 2070 से 2073 में दर्ज रिकार्ड है। ग्राम भैसावता खुर्द हाल ख.नं. 41 रकबा 4.12 है. के खातेदार काश्तकार विनोद पत्नी स्व. रामावतार, दीपक कुमार पुत्र रामावतार, कविता, नीरू, पूजा पुत्रियान रामावतार हिस्सा ब.हि.ब. 1/6, कर्मवीर, प्यारेलाल पुत्रान महावीर, माडी पत्नी महावीर ब.हि.ब. हिस्सा 1/6, इन्द्राज, रणजीत, रमेश कुमार, सज्जन कुमार पुत्रान मेहरचन्द हिस्सा 2/3 जाति जाट निवासी भैसावता की खातेदारी संवत् 2070 से 2073 दर्ज रिकार्ड है। प्रांर्थी ने अपने खेत ख.नं. 122 जो प्रार्थी के पिता ओमप्रकाश के हिस्से में आया था में प्रार्थी ने अपना कुआ व मकानात बना रखे हैं वर्तमान समय में प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है कुये का ख.नं. 121 है। उक्त खेत में आने जाने के लिए प्रार्थी के पास मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थी को भारी हानि व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत ख.नं. 122 के पश्चिम दिशा में रास्ते के साथ ख.नं. 43 जो अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 की खातेदारी में दर्ज है और उसके पश्चात् ख.नं. 42 जो अप्रार्थी सं. 5 लगा. 7 की खातेदारी में दर्ज है और इन्हीं खसरा नंबर में से उत्तरी मेड के सहारे–सहारे रास्ता दिलाया जा सकता है और यही रास्ता सबसे छोटा पड़ता है इसके अलावास प्रार्थी के पास अपने मकान व कुऐ पर जाने के लिए कोई रास्ता विद्यमान नहीं है प्रार्थी खर्चा वहन करने के लिए तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम भैसातव खुर्द स्थित हाल ख. नं. 41, 42 व 43 में से प्रार्थी को खसरा 122 में स्थित मकानात पर जाने के लिए ख.नं. 41 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे व ख.नं. 42 व 43 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे 15 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 4 व 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:10:56 IST
Reason: SelfAttested

चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थी के ख.नं. 122 में जाने के लिये सबसे उपयुक्त रास्ता ख.नं. 41 में से होकर जाता है जो ख.नं. 122 के सटकर लगता है जो उन्हीं के परिवार के लोगों का है। रास्ते में ली जाने वाली जमीन के बदले प्रार्थी ख.नं. 41 के खातेदार को अपनी भूमि ख.नं. 122 में से भूमि दे सकता है। यदि प्रार्थी ख.नं. 42, 43 में से रास्ता मांगता है तो वह कतई गलत है क्योंकि इन खसरा नंबरान में से रास्ता दिया जाता है तो ख.नं. 42 के मध्य से रास्ता जाता है जो कतई न्यायहित में नहीं है। प्रार्थी का ख.नं. 122 के लिये रास्ता ख.नं. 41 में से दिया जाना न्यायहित में है। प्रार्थी को कोई प्रार्थना पत्र के लिये आधार विवाद पैदा नहीं हुआ झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी को ख.नं. 43 व 42 के उत्तरी हिस्से से रास्ता दिये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है। लेकिन काश्तकारी अधिनियम के प्रावधांनों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता के लिये जो जमीन दी जाती है उसके बदले जमीन दिलवाई जानी आवश्यक है। इसलिए रास्ते के बदले जमीन अप्रार्थी को दिलवाई जावे।

अप्रार्थीगण सं. 6 व 9 से 22 सम्यक् तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./15/300 दिनांक 9.03. 2016 से भू–अभिलेख निरीक्षक भैसावता खुर्द की मूल फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है। भू–अभिलेख निरीक्षक भैसावता खुर्द की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदक ने ख. नं. 43 व 42 की उत्तरी मेड से होते हुए ख.नं. 122 तक रास्ते के लिए दावा किया है। मौके पर ख.नं. 43 के सभी खातेदार कब्जे काश्त है। ख.नं. 44 में रणजीत पुत्र मेहरचन्द व राशेनलाल पुत्र भरताराम का कब्जा काश्त है। ख.नं. 42 में जैला पुत्र चन्दगी ख.नं. 42 के पश्चिमी तरफ 1/2 हिस्से पर काबिज है। जैला ने अपने हिस्से में सरसो की बुआई की हुई है। जैला पुत्र चन्दगी अपने कब्जे काश्त में ख.नं. 42 में पक्के मकान बनाकर निवास करता है। ख.नं. 42 के पूर्वी हिस्से में बदलू पुत्र चन्दगी कब्जा काश्त करता है। मौके पर ख.नं. 44 में से होते हुए जैला पुत्र चन्दगी के घर तक प्रचलित रास्ता है। दावे में रणजीत पुत्र महेरच्नद का नाम नहीं है। ख.नं. 42 में बदलू पुत्र चन्दगी ने अपने कब्जे काश्त में बुआई की हुई है। प्रार्थी ने ख.नं. 42 व ख.नं. 43 की उत्तरी मेड से रास्ता चाहा है। प्रार्थी ख.नं. 43 में से 3 मीटर चौड़ा व 188 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना उचित है व ख.नं. 42 में से 3 मीटर चौड़ा व 225 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना उचित है। मौके पर ख.नं. 42 व 43 में से कोई भी रास्ता प्रचलित रास्ता नहीं है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट भू–अभिलेख [illegible] ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। भू–अ0नि0 की रिपोर्ट के अन[illegible]ण को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। भू–अ0नि0 के मुताबिक [illegible] पहुंचने हेतु खसरा नंबर 42 व 43 में से नजरी नक्शे में लाल स्या[illegible] निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल [illegible] 413 मीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 122 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:10:56 IST
Reason: SelfAttested

करता है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट भू—अभिलेख निरीक्षक वृत भैसावता खुर्द प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 122 है. में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भैसावता खुर्द खसरा नंबर 42, 43 में से लाल स्याही से अंकित नजरी नक्शा (प्रदर्श—अ) के अनुसार 3 मीटर चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 122 तक कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 413 वर्गमीटर भूमि की जितनी कीमत होती है उसकी दुगुनी राशि प्रार्थीगण तहसीलदार, बुहाना के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, बुहाना खसरा नंबर 42, 43 के खातेदारों को प्रतिकार की रकम नियमानुसार अदा करें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 42, 43 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में राजकीय खाते में "गै.मु.रास्ता" के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 06—06—2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:10:56 IST
Reason: SelfAttested